नरेन्द्र कुमार सिंह, भा०प्र०से०, समाहर्त्ता–सह–जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 05.05.2014 को सम्पन्न जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

- **उपस्थिति :–**
  1. श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
  2. श्री श्यामानन्द झा, अपर समाहर्त्ता, विभागीय जॉच, मुंगेर।
  3. श्री प्रभात कुमार सिन्हा, नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर।
  4. डॉ0 ईश्वरचन्द्र शर्मा, अपर समाहर्त्ता, मुंगेर।
  5. डॉ0 रविन्द्र नाथ, प्रभारी पदा0, बन्दोवस्त, मुंगेर।
  6. श्री जैनेन्द्र कुमार, निदेशक, डी0आर0डी0ए0, मुंगेर।
  7. मो0 अमजद अली, निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर।
  8. मो0 नजीर अहमद, जिला परिवहन पदा0, मुंगेर।
  9. श्री सुखदेव प्रसाद, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मुंगेर।
  10. श्री अनिल राय, उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर।
  11. श्रीमती प्रतिभा कुमारी, वरीय उपसमाहर्त्ता, मुंगेर।
  12. श्री विजय कुमार, वरीय उपसमाहर्त्ता, मुंगेर।
  13. श्री अशीष कुमार बरियार, वरीय उपसमाहर्त्ता, मुंगेर।
  14. श्री राजेन्द्र दास, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुंगेर।
  15. श्री ज्ञानेश्वर प्रकाश, जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर
  16. श्री कुमार प्रेमनाथ, जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर।
  17. श्री चन्द्र किशोर वैद्य, जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर।
  18. मो0 जैनुल आबदीन अंसारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुंगेर।
  19. मु0 खिलाफत अंसारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर।
  20. श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर।
- **अवकाश अथवा अन्य विशेष कारण से अनुपस्थित पदाधिकारी :–**
  21. श्री नागेन्द्र कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त, मुंगेर।
  22. श्री अमिताभ गुप्ता, वरीय उपसमाहर्त्ता, मुंगेर।
  23. श्री कुमार प्रशान्त, खास महाल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर।

लोक सभा आम निर्वाचन, 2014 के निमित्त मतगणना की निर्धारित तिथि दिनांक 16.05.2014 को मतगणना कार्य की सभी आवश्यक तैयारियों की समीक्षा के पूर्व सरकार की महत्वाकांक्षी एवं प्राथमिकता आधारित कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रगति की समीक्षा करते हुए उसके उत्तरोत्तर एवं गुणात्मक वृद्धि हेतु निम्न निदेश दिए गए :–

1. वरीय उपसमाहर्त्ता प्रभारी–सह–प्रभारी पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मुंगेर को निदेश दिया गया कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से वितरणोपरान्त सामाजिक सुरक्षा पेंशन मद की श्रेणीवार/घटकवार लाभूकों की अद्यतन सूची प्राप्त कर संकलित प्रतिवेदन कार्यालय में संधारित करेंगे।
2. वृद्धावस्था पेंशन मद की राशि उपलब्ध रहने के बावजूद जिन पंचायतों में शत–प्रतिशत वितरण कर आच्छादन प्राप्त नहीं किया है, वैसे पंचायतों को चिन्हित करते हुए दोषी पदाधिकारी/कर्मी के विरूद्ध कार्रवाई हेतु प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे।
3. वृद्धावस्था पेंशन मद में जिन प्रखंडों को अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता हो तो उसकी सूची संकलित कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष संचिका उपस्थापित करें ताकि वितरण की उपलब्धि शत–प्रतिशत अर्जित की जा सके।
4. कतिपय स्रोतों से अधोहस्ताक्षरी को यह शिकायत प्राप्त होती है कि सभी प्रखंडों को आवंटन उपलब्ध कराने के बावजूद कई प्रखंडों में चौकीदार के राशि का भुगतान शेष है। उदाहरणस्वरूप तारापुर में फरवरी 2014 तक, मुंगेर सदर, जमालपुर एवं खड़गपुर प्रखंड में दिसम्बर, 2013 तक ही भुगतान किया गया है तथा शेष प्रखंडों में मार्च 2014 तक भुगतान कर दिया गया है। यह स्थिति काफी चिंताजनक है कि प्रखंडों को आवंटन उपलब्ध होने के बावजूद चौकीदारों को अबतक मार्च, 2014 तक राशि का भुगतान नहीं किया गया है। प्रभारी वरीय उपसमाहर्त्ता, सामान्य

शाखा, मुंगेर को निदेश दिया गया कि मार्च 2014 तक के राशि के भुगतान नहीं करने वाले प्रखंडों को चिन्हित करते हुए दोषी पदाधिकारी/कर्मी से कारणपृच्छा प्राप्त कर कार्रवाई प्रारंभ करेंगे तथा यथाशीघ्र प्रखंडों को उपावंटित राशि के विरूद्ध व्यय विवरणी सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएँगे।

5. उपरोक्त कंडिका 1,2,3 एवं 4 में वर्णित निदेशों के अनुपालन की समीक्षा प्रखंड-सह-अंचल के वरीय पदाधिकारी (Mentor) भी क्षेत्र भ्रमण एवं प्रखंड स्तरीय बैठकों में अवश्य करेंगे।

6. वरीय उपसमाहर्त्ता प्रभारी, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, मुंगेर को निदेश दिया गया कि आपदा से संबंधित लंबित डी0सी0 बिल, यथा-खड़गपुर अंचल में 1,00,000/- (एक लाख) रू0, सदर अंचल में 1,72,000/- (एक लाख बहत्तर हजार) रू0 तथा बाल विकास परियोजना कार्यालय, असरगंज में 2,83,200/- (दो लाख तेरासी हजार दो सौ) रू0 का समोयाजन यथाशीघ्र कराना सुनिश्चित करें।

7. भू-अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर आज ही प्रखंड-सह-अंचल-सह-आवासीय भवन हेतु विभाग से प्राप्त अधिग्रहण की राशि को वापस करने हेतु संचिका उपस्थापित करेंगे।

8. प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना ने अपने पत्रांक 9036/पं0रा0, दिनांक 26.12.2013 से बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 153 के निहित प्रावधानानुसार ग्राम पंचायतों में वित्तीय अनुशासन एवं योजनाओं का नियमानुकूल कार्यान्वयन हेतु विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों द्वारा समय-समय पर ग्राम पंचायत कार्यालयों का निरीक्षण करने हेतु उपयुक्त पदाधिकारियों को विहित किया है जो ग्राम पंचायत कार्यालयों के बेहतर कार्य व्यवहार के लिए आवश्यक परामर्श/निदेश से वरीय पदाधिकारियों को संसूचित करेंगे। उपरोक्त पत्र में वर्णित विहित पदाधिकारियों की सूची निम्न है :-

क्र0	निरीक्षी पदाधिकारी	निरीक्षण कार्यक्रम	निरीक्षण विषय	निरीक्षण टिप्पणी का प्रेषण
1	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी	प्रतिमाह कम-से-कम दो ग्राम पंचायत एवं वर्ष में अनिवार्यतः हर ग्राम पंचायत का कम-से-कम एक बार	ग्राम पंचायतों में कैशबुक/योजना पंजियों का उल्लेखनीय अनियमितता एवं अन्य सभी पंचायत स्तरीय कार्यो की समीक्षा।	प्रखंड विकास पदा0/ संबंधित ग्राम पंचायत
2	प्रखंड विकास पदाधिकारी	प्रतिमाह कम-से-कम एक ग्राम पंचायत	कार्यालय भवन की स्थिति, कैश बुक/चेक पंजी का संधारण, अभिलेखों का रख-रखाव, समय पर कार्यो का निष्पादन, ग्राम सभा की बैठकों की कार्यवाही, स्थायी समितियों का गठन उनके कार्यकलाप, ग्राम पंचायतों की बैठकों की कार्यवाही, अंकेक्षण आपत्तियों का निष्पादन, उपयोगिता प्रमाण पत्र का समर्पण इत्यादि के अतिरिक्त मन्तव्य एवं परामर्श	जिला पंचायत राज पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/संबंधित ग्राम पंचायत
3	जिला पंचायत राज पदाधिकारी	तीन माह में कम-से-कम दो ग्राम पंचायत	तथैव	जिला पदाधिकारी
प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3115, दिनांक 30.04.14 के अनुसार				
4	अनुमंडल पदाधिकारी	तीन माह में कम-से-कम दो ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत कार्यालयों में संधारित सभी प्रकार की पंजियों/अभिलेखों एवं कार्यान्वित योजनाओं का निरीक्षण।	जिला पदाधिकारी
5	उप विकास आयुक्त	छः माह में कम-से-कम दो ग्राम पंचायत	तथैव	जिला पदाधिकारी

9. उपरोक्त पत्रों के आलोक में सभी निरीक्षी पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही नोडल पदाधिकारी (Mentor) प्रखंड स्तरीय बैठकों में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को यह निदेश दिया जाए कि तिथिवार निरीक्षण किए जाने वाले ग्राम पंचायतों का रोस्टर तैयार कर निरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे।

10. प्रायः ऐसा देखा गया है कि विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा THR दिवस एवं अन्य दिवसों में आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाता है, जिसके आलोक में परिलक्षित अनियमितताओं के दृष्टिगत् दोषी पदाधिकारी/कर्मी के विरूद्ध कार्रवाई का निदेश जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मुंगेर को दिया जाता है, परन्तु उन प्रतिवेदनों के आधार पर कार्रवाई काफी कम होना चिंताजनक है। अतः निदेश दिया जाता है कि निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा समर्पित निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर आंगनबाड़ी केन्द्रों पर परिलक्षित अनियमितताओं के दृष्टिगत् अधोहस्ताक्षरी अथवा अन्य वरीय पदाधिकारियों द्वारा भेजे जाने वाले प्रतिवेदनों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए दोषी पदाधिकारी/कर्मी के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएँगे।

11. जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर नियमित रूप से विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर परिलक्षित अनियमितता के आलोक में कार्रवाई करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएँगे।

12. बैठक अवधि में यह जानकारी दी गई कि शिक्षक नियोजन कार्यक्रम के दौरान शिक्षा विभाग के कई शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति जिला परिषद्, मुंगेर में की गई थी तथा शिक्षक नियोजन समाप्ति के उपरान्त उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त नहीं की गई है। इस निमित्त जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया गया कि उप विकास आयुक्त, मुंगेर से सम्पर्क कर शिक्षक नियोजन कार्यक्रम हेतु प्रतिनियुक्त शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर पदस्थापन विद्यालयों में वापस भेजा जाए ताकि शिक्षण कार्य प्रभावित न हो सके।

13. धान अधिप्राप्ति की संक्षिप्त समीक्षा के दरम्यान् जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया गया कि वे यह प्रमाण पत्र देंगे कि पैक्स के माध्यम से किसानों से क्रय की गई धान के विरूद्ध उन्होंने राशि का भुगतान पूर्णतः कर दिया है तथा बैंकों द्वारा भी उक्त राशि सभी किसानों के खातों में हस्तान्तरित कर दिया गया है एवं वर्तमान में किसी भी किसान को भुगतान हेतु राशि लंबित नहीं है।

14. जिले में संस्थापित 15 मीलों के भौतिक सत्यापन हेतु अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर/जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, मुंगेर एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुंगेर के दल का गठन किया जाता है जो सभी मीलों में भंडारित धान का भौतिक सत्यापन कर अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

15. **निर्वाचन :-** बैठक अवधि में निर्णय लिया गया कि मतगणना संबंधी जानकारी उम्मीदवारों तथा निर्वाचन अभिकर्त्ताओं को उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 15.05.14 को पूर्वाह्न 11:00 बजे समाहरणालय सभाकक्ष में बैठक का आयोजन किया जाए। तत्पश्चात् सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारियों की बैठक दिनांक 13.05.14 को पूर्वाह्न 11:00 बजे समाहरणालय सभाकक्ष में आहूत की जाए। इन दोनों बैठकों की सभी तैयारियाँ उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर सुनिश्चित करेंगे।

16. **RTPS** :- लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के सफल संचालन हेतु नोडल पदाधिकारी (Mentor) अंचल का नियमित निरीक्षण कर अधोलिखित बिन्दुओं पर स्पष्ट रूप से समीक्षा करेंगे :-

- कतिपय प्रतिवेदनों से यह परिलक्षित होता है कि काफी संख्या में प्राप्त आवेदनों (विशेषकर दाखिल-खारिज) को बिना कारण स्पष्ट किए अस्वीकृत कर दिया जाता है तथा दाखिल खारिज के प्राप्त आवेदन की स्वीकृति तिथि को ही निष्पादित मान लिया जाता है, जो उचित नहीं है। अतः नोडल पदाधिकारी भ्रमण के दौरान Expire/Reject आवेदनों तथा भौतिक रूप से निष्पादित आवेदनों की गहन जाँच करते हुए दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई का प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे।
- आर0टी0पी0एस0 अधिनियम के अन्तर्गत जिन कर्मियों पर दण्ड स्वरूप राशि अधिरोपित की गई है, उनसे शत-प्रतिशत राशि की वसूली सुनिश्चित कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।
- RTPS काउण्टर के आस-पास दलाली व्यवस्था पूर्णरूपेण बंद करने हेतु कार्यालय खुलने के समय तथा बंद होने के पूर्व औचक निरीक्षण कर दलालों को पकड़कर उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे।
- आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर सभी RTPS स्थलों का नियमित भ्रमण करेंगे तथा बैकलॉग सुधारने हेतु यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

17. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मुंगेर को निदेश दिया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर लाभूकों की सूची, टी0एच0आर0 का मीनु इत्यादि का लेखन दीवार पर अवश्य कराया जाए।

पूर्व साप्ताहिक बैठकों में प्रदत्त निदेशों के अनुपालन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिए गए जिसका सारांश निम्न है :-

18. जिले में प्रा0स्वा0के0/अति0प्रा0स्वा0के0/आंगनबाड़ी केन्द्र/कला भवन/सामुदायिक भवन/पंचायत सरकार भवन/विद्यालय भवन/प्रखंड-सह-अंचल भवन/थाना भवन/लैंड बैंक/मनरेगा भवन इत्यादि के लिए भूमि उपलब्धता हेतु भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

19. पूर्व बैठक में प्रदत्त निदेश के आलोक में सहायक निदेशक सामाजिक, सुरक्षा, मुंगेर व्यक्तिगत रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि के वितरण कार्यक्रम एवं सभी प्रकार की गतिविधियों की वास्तविक समीक्षा करने हेतु सभी प्रखंडों का स्थलीय निरीक्षण कर संभावित त्रुटियों/कमियों का निराकरण कराएँगे। उक्त निदेश का अनुपालन नहीं किया जाना खेदजनक है। अतः पूर्व प्रदत्त निदेश का अनुपालन हरहाल में किया जाए तथा स्थलीय निरीक्षण के दौरान यह विशेष समीक्षा की जाए कि किन पंचायत सचिवों के पास सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि समायोजन हेतु अभी भी लंबित है। तत्पश्चात् उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई हेतु प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे।

20. यह सर्वविदित है कि दाखिल-खारिज मामलों के अपीलीय प्राधिकार भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता होते हैं, परन्तु किसी भी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा कालबाधित आवेदन पत्रों के मामले में दण्ड स्वरूप कोई राशि वसूल नहीं की जा रही है। अतएव निदेश दिया गया कि कालबाधित दाखिल-खारिज आवेदन पत्रों की समीक्षा करते हुए RTPS प्रावधानानुसार दण्ड अधिरोपित करने एवं राशि वसूलने की कार्रवाई करेंगे।

21. भू–अभिलेख कम्प्यूटराईजेशन अन्तर्गत विभागीय प्रपत्र–2 (रैयत का स्वघोषणा), प्रपत्र–3 (राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन) एवं प्रपत्र–4 (वैसे रैयत जिनके जमीन का सत्यापन नहीं हो पाया है), की भी जांच वरीय पदाधिकारी (Mentor) एवं अन्य टी0एच0आर0 दिवस एवं मनरेगा दिवस में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी करेंगे।

22. कबीर अन्येष्टि योजना एवं पारिवारिक लाभ योजना में प्रखंडों को उपावंटित राशि के विरूद्ध वितरण की स्थिति की भी जांच वरीय पदाधिकारी (Mentor) सुनिश्चित करेंगे।

23. टी0एच0आर0 एवं मनरेगा दिवस में जांच हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि उपरोक्त दिवसों में विद्यालय/कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय/उत्प्रेरण केन्द्र/आंगनबाड़ी में संचालित मध्याह्न भोजन योजना/कन्या विवाह योजना/ सामाजिक सुरक्षा पेंशन/BRGF, 13वाँ वित्त आयोग, चतुर्थ वित्त आयोग, एकीकृत कार्य योजना (IAP), आपकी सरकार आपके द्वार इत्यादि की भी जांच अवश्य करें तथा अधोहस्ताक्षरी को वास्तविक वस्तुस्थिति संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध करायें ताकि दोषी कर्मियों/व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके।

15. पूर्व सम्पन्न बैठक में निर्णित निदेश, यथा– प्रखंड–सह–अंचल के नामित वरीय उपसमाहर्त्ता की अध्यक्षता में प्रत्येक सप्ताह वृहस्पतिवार को प्रखंड–सह–अंचल स्तरीय बैठक का आयोजन प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी की उपस्थिति में करेंगे जिसमें विशेषकर RTPS काउण्टर, कैशबुक का अद्यतन संधारण, मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, छात्रवृत्ति, साईकिल, पोशाक, मध्याह्न भोजन योजना, पोषाहार वितरण, AC, DC बिल, स्वास्थ्यपरक योजना, हल्का कर्मचारी के कार्यो इत्यादि महत्वपूर्ण योजनाओं की गहन समीक्षा करेंगे। इसी आलोक में आयुक्त, मुंगेर, प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 2388/वि0, दिनांक 31.05.13 के अनुरूप प्रखंड–सह–अंचल के नामित वरीय उपसमाहर्त्ता (Mentor) को निदेश दिया गया था कि वे कम–से–कम एक दिन तत्काल साप्ताहिक बैठकों में निर्धारित तिथि वृहस्पतिवार को समीक्षा के लिए प्रखंड–सह–अंचल जाएंगे तथा समीक्षा कर एक प्रतिवेदन दूसरे दिन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएंगे। परन्तु इसका शत–प्रतिशत अनुपालन नहीं किया जाना खेदजनक है। अतएव पुनश्च निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक वृहस्पतिवार को उक्त बैठक का आयोजन अपनी अध्यक्षता में करते हुए बैठक की कार्यवाही की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को बैठक के दो दिन पश्चात् निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे अपने कर्त्तव्य के प्रति तत्पर एवं कार्यकुशल नहीं हैं। सहजता हेतु उक्त बैठक में गहन समीक्षा हेतु निम्नलिखित मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख पुनश्च किया जाता है :–

- लोक सेवा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत सेवावार वितरण पंजी के अद्यतन संधारण एवं प्रावधानानुसार कार्य संपादन की जाँच करना।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन अन्तर्गत प्रखंड/पंचायत स्तरीय कर्मियों द्वारा अग्रिम राशि प्राप्ति के पश्चात् विपत्र समर्पित न कर अपने पास ही रखे हुए हैं, जो गबन का मामला बनता है। समीक्षोपरान्त ऐसे मामले परिलक्षित होने पर निरीक्षण टिप्पणी में अंकित करते हुए दोषी पदाधिकारी/कर्मी के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रस्ताव देना।
- वैसे पेंशनधारी, जिन्हें पूर्व में डाकघर के माध्यम से पेंशन की राशि का भुगतान होता था, परन्तु वर्तमान में किन्हीं कारणों से इन्हें पेंशन भुगतान नहीं हो रहा है तो ऐसे लाभुकों को पोस्ट ऑफिस के खाता संख्या/PPO संख्या के आधार पर वितरण पंजी के माध्यम से अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण कर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा उचित पहचान कर भुगतान किया जाना।

- बिहार शिक्षा परियोजना/सर्व शिक्षा अभियान के तहत् कार्यान्वित् योजनाओं के प्रगति की समीक्षा/जांच हेतु प्राथमिक/मध्य/उच्च विद्यालयों/कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय/उत्प्रेरण केन्द्र का भी स्थलीय निरीक्षण कर निरीक्षण टिप्पणी से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना।
- आई0सी0डी0एस0 निदेशालय द्वारा संचालित विभिन्न विकासोन्मुखी योजनाओं, यथा–आंगनबाड़ी केन्द्र/भवन/केन्द्रों में कार्यान्वित योजनाओं/ सेविका/सहायिका के कार्य/पोषाहार की स्थिति की गहन समीक्षा/ स्थलीय निरीक्षण कर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करना।

16. विदित हो कि विभाग द्वारा सरकारी भूमि (शहरी) का सर्वेक्षण कर अतिक्रमण पाए जाने पर उक्त भूमि को अतिक्रमणमुक्त करते हुए घेराबन्दी कराने का निदेश प्राप्त हुआ है, जिसके लिए अधियाचना प्राप्त कर आवश्यकतानुसार राशि की मांग की जानी है। इस कार्य के लिए शहरी क्षेत्रान्तर्गत अंचल अधिकारी, यथा–सदर, जमालपुर, तारापुर एवं खड़गपुर को निदेश दिया जाता है कि बिना अनुमति प्राप्त किए सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाते हुए भा0द0वि0 की धारा 107 का प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी को देंगे। साथ ही अतिक्रमणमुक्त सरकारी भूमि की घेराबन्दी हेतु अधियाचना अपर समाहर्त्ता, मुंगेर को उपलब्ध करायेंगे। इस कार्य का पर्यवेक्षण अपर समाहर्त्ता, मुंगेर विशेष तौर पर करेंगे।
17. प्रभारी वरीय उपसमाहर्त्ता, जिला विकास शाखा को निदेश दिया गया कि सभी मदों के लंबित ए0सी0 विपत्रों के लिए डी0सी0 विपत्र तैयार कर समायोजन हेतू महालेखाकार को भेजने हेतू अपेक्षित कार्रवाई करेंगे।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

5/5/14

(नरेन्द्र कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 1149 /गो0, दिनांक 06/05/14

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, मुंगेर/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर/अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/उप विकास आयुक्त, मुंगेर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी शाखा/कार्यालयों के वरीय पदाधिकारी/जिला जनसमपर्क पदाधिकारी, मुंगेर/जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुंगेर/आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/5/14

(नरेन्द्र कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।